भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 248
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि अवसंरचना निधि की सुलभता

***248. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात के दूरदराज और अल्प-सेवित क्षेत्रों में किसानों के लिए कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के तहत वित्तीय सुविधाओं की समान सुलभता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार उक्त निधि के तहत कृषि अवसंरचना में निजी निवेश को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है;

(ग) कृषि उत्पादकता पर इस निधि से वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ठ निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार इस निधि के तहत निर्मित कृषि-संबंधी अवसंरचना की सतत्ता किस प्रकार सुनिश्चित करती है; और

(ङ) इस निधि के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

"कृषि अवसंरचना निधि की सुलभता" के संबंध में दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 248 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में विवरण

(क) : किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल कृषि उपज का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि कटाई-पश्चात नुकसान को कम करना और आधुनिक कटाई-पश्चात प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से किसानों के लिए बेहतर कीमतों की प्राप्ति सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। कटाई-पश्चात प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूदा अंतर को दूर करने और देश में व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की प्रमुख योजना वर्ष 2020-21 में शुरू की गई थी, ताकि फार्म गेट स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। इससे किसान अपनी कृषि उपज को ठीक से संग्रहीत और संरक्षित कर सकेंगे और फसल-पश्चात नुकसान को कम करने और बिचौलियों की कम संख्या के साथ उन्हें बेहतर कीमत पर बाजार में बेच सकेंगे।

एआईएफ के तहत, ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऋणों पर 9% की ब्याज दर सीमा है। यह योजना वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक लागू है। इस फाइनेंसिंग सुविधा के तहत सभी ऋणों में 2 करोड़ रूपए की ऋण सीमा तक 3% प्रति वर्ष की ब्याज सब्वेंशन है। यह ब्याज सब्वेंशन अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है। 2 करोड़ रूपए से अधिक के ऋण के मामले में, ब्याज सब्वेंशन 2 करोड़ रूपए तक सीमित है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के तहत 2 करोड़ रुपये के ऋण तक पात्र उधारकर्ताओं के लिए इस फाइनेंसिंग सुविधा से क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है। एफपीओ के मामले में, डीएएंडएफडब्ल्यू और नबसंरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की एफपीओ प्रोत्साहन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ उठाया जा सकता है, हालांकि एफपीओ एआईएफ के तहत क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र हैं। इस कवरेज का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

सरकार ने गुजरात राज्य सहित देश भर के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत वित्तीय सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। ये उपाय वित्तीय समावेशन, डिजिटल पहुंच, संस्थागत समर्थन और सभी पात्र स्टेकहोल्डर्स को एआईएफ लाभ प्रदान करने के लिए लक्षित पहुंच पर केंद्रित हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(i) दूरदराज के किसानों के लिए डिजिटल और बैंकिंग पहुंच

एआईएफ ऑनलाइन पोर्टल ऋण आवेदनों की सहजता और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है, जिससे बैंकों में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता कम हो जाती है।

बैंक दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों को दस्तावेज़ीकरण, आवेदन प्रस्तुत करने और शिकायत समाधान में जमीनी स्तर पर सहायता करते हैं।

(ii) क्रेडिट गारंटी और ब्याज सब्वेंशन

9% की ब्याज दर सीमा के अलावा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% की ब्याज सब्वेंशन से छोटे और सीमांत किसानों के लिए 7 वर्ष तक के लिए फाइनेंस और अधिक किफायती हो गया है।

नबसंरक्षण और सीजीटीएमएसई के माध्यम से क्रेडिट गारंटी कवरेज यह सुनिश्चित करता है कि सीमित संपार्श्विक वाले किसान संस्थागत ऋण तक पहुँच सकें। इस तरह के क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है।

(iii) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों की भूमिका

सरकार कृषि-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में सामूहिक निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एफपीओ, पीएसीएस और सहकारी समितियों को बढ़ावा देती है।

ये संस्थाएँ छोटे किसानों को भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य-संवर्धन सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करती हैं, जिससे उनकी बाज़ार में उपस्थिति मजबूत होती है।

(iv) राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत समर्थन

राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) और जिला स्तरीय निगरानी समितियां (डीएलएमसी) सक्रिय रूप से एआईएफ जागरूकता को बढ़ावा देती हैं और आवेदकों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुचारू बनाती हैं।

(v) स्टेकहोल्डर्स के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण

प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएँ और स्थानीय भाषाओं में एआईएफ जागरूकता अभियान किसानों को बैंकों और अन्य संगठनों के माध्यम से एआईएफ ऋण प्राप्त करने के बारे में शिक्षित करते हैं। इसके अलावा, एक समर्पित एआईएफ हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र आवेदकों को निरंतर सहायता प्रदान करता है।

डिजिटल बैंकिंग समाधान, संस्थागत ढांचे, वित्तीय प्रोत्साहन और जमीनी स्तर पर पहुंच कार्यक्रमों को एकीकृत करके, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दूरदराज और वंचित क्षेत्रों के किसान आसानी से एआईएफ फंडिंग तक पहुंच सकें और आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभान्वित हो सकें।

(ख): एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) वित्तीय और नीतिगत प्रोत्साहनों की एक श्रृंखला की पेशकश करके कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश अधिक आकर्षक और व्यवहार्य हो जाता है।

(i) ब्याज सब्वेंशन और क्रेडिट गारंटी: एआईएफ अधिकतम सात वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्वेंशन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पात्र उधारकर्ताओं को माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और नबसंरक्षण के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति मिलती है, जिससे कृषि व्यवसाय, सहकारी समितियों और स्टार्ट अप सहित निजी निवेशकों के लिए वित्तीय जोखिम कम हो जाता है।

(ii) फ्लेक्सिबल ऋण शर्तें और उच्च क्रेडिट प्रवाह: संस्थागत ऋण में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ, यह योजना निजी संस्थाओं को कटाई-पश्चात प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, शार्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयों, प्राइमरी प्रसंस्करण केंद्रों और आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं और अन्य व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों की स्थापना के लिए किफायती मध्यम से दीर्घकालिक ऋण तक पहुँचने में सक्षम बनाती है। 9% की ब्याज दर सीमा निजी निवेश के आकर्षण को और बढ़ाती है।

(iii) आधुनिक कृषि-तकनीक परियोजनाओं के लिए समर्थन: एआईएफ स्मार्ट और सटीक खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, जैव-उत्तेजक उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण (जैसे पीएम-कुसुम सौरकरण) जैसे उन्नत और उभरते कृषि-इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह स्थायी और प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि सोल्यूशन की बढ़ती मांग के अनुरूप है।

(iv) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और संस्थागत भागीदारी: यह योजना निजी निवेशकों को राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने की अनुमति देती है। यह दृष्टिकोण निवेश जोखिमों को कम करने और एक स्थिर राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद करता है।

(v) राज्यवार निधि आवंटन और बाजार संपर्क: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के लक्षित फंड आवंटन से यह सुनिश्चित होता है कि निवेश वहीं किया जाए जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एआईएफ-समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार संबंधों को बढ़ाता है, जिससे कृषि-व्यवसाय और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन में लगे निजी प्लेयर्स के लिए लाभप्रदता बढ़ती है। इन उपायों

के माध्यम से, एआईएफ प्रभावी रूप से निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाता है, जिससे आधुनिक, स्केलेबल और स्थायी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम का निर्माण होता है।

(ग): एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के कृषि उत्पादकता पर प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र का उपयोग करती है। ये तंत्र परियोजना परिणामों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, पारदर्शिता और प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं। प्रमुख निगरानी कार्यनीतियां निम्नलिखित हैं:

(i) एआईएफ ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल

एआईएफ पोर्टल परियोजनाओं की स्वीकृति से लेकर कार्यान्वयन तक की रियल-टाइम ट्रैकिंग उपलब्ध कराता है। जमीनी स्तर पर प्रभाव का आकलन करने के लिए यह परियोजना के अनुमोदन, संवितरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर की जियो-टैगिंग का डेटा एकत्र करता है। यह पोर्टल ऑटोमेटिड लोन ट्रैकिंग के लिए विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ इंटीग्रेट होता है।

(ii) एआईएफ परियोजनाओं की जियो-टैगिंग

एआईएफ परियोजनाओं की जियो-टैगिंग से परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति और क्षेत्रीय वितरण की निगरानी हो पाती है, जिससे उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

(iii) थर्ड-पार्टी मूल्यांकन और फील्ड सर्वे

परियोजना के उपयोग, दक्षता और कृषि उत्पादकता पर प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियाँ फील्ड सर्वे करती हैं। ये सर्वे बाधाओं की पहचान करने और बेहतर फंड उपयोग हेतु सुधार का सुझाव देने में मदद करते हैं। वर्ष 2023 के दौरान, कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्र (एईआरसी), पुणे द्वारा रोजगार सृजन, फसलोपरांत नुकसान में कमी, बेहतर कृषि मशीनीकरण, बिचौलियों पर कम निर्भरता आदि जैसे विभिन्न मापदंडों में योजना के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था।

(iv) स्टेकहोल्डर परामर्श और फीडबैक तंत्र

बैंकों और राज्य सरकारों के साथ नियमित बैठकों से परियोजना की प्रभावशीलता पर रियल-टाइम फीडबैक सुनिश्चित होती है। कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को नीतिगत हस्तक्षेप और फंड पुनर्आबंटन कार्यनीतियों के माध्यम से दूर किया जाता है।

(v) एग्री-टेक और एआई-आधारित एनालिटिक्स के साथ एकीकरण

सरकार एआईएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के उपज सुधार, फसलोपरांत नुकसान में कमी और किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु एआई और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठा रही है। स्मार्ट एनालिटिक्स इस तथ्य की जानकारी देते हैं कि कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और प्रोसेसिंग यूनिट किस तरह से सप्लाई चेन दक्षता में सुधार कर रहे हैं।

(vi) जिला एवं राज्य स्तरीय निगरानी समितियां

राज्य और जिला स्तरीय नोडल एजेंसियां परियोजना कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं और क्षेत्रीय कृषि आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करती हैं। आवधिक निष्पादन समीक्षा से बेहतर फंड उपयोग के लिए कार्यनीतियों को संशोधित करने में मदद मिलती है।

इन व्यापक निगरानी तंत्रों के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि एआईएफ-वित्त पोषित परियोजनाएं कृषि उत्पादकता, फसलोपरांत प्रबंधन और समग्र मूल्य श्रृंखला वृद्धि में प्रभावी रूप से योगदान दे रही हैं, जिससे किसानों और एग्री-बिजनेस इकोसिस्टम को लाभ मिल रहा है।

(घ): सरकार वित्तीय, तकनीकी और प्रचालन उपायों को एकीकृत करने वाले व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत निर्मित कृषि-संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्थायित्व सुनिश्चित करती है।

(i) किफायती वित्तपोषण और क्रेडिट सहायता: सीजीटीएमएसई और नबसंरक्षण के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ एआईएफ सात वर्ष तक के लिए 3% ब्याज छूट के साथ रियायती ऋण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, 6 महीने से 2 साल तक के मोरेटोरियम का प्रावधान भी लाभार्थियों को अपने फायनेंस का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करता है और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की दीर्घावधि व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है।

(ii) परियोजना व्यवहार्यता और क्षमता निर्माण: यह योजना परियोजना की स्वीकृति से पहले व्यवहार्यता आकलन को प्रोत्साहित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल आर्थिक रूप से व्यवहार्य और टिकाऊ परियोजनाओं को ही वित्त-पोषण मिले। एआईएफ पोर्टल में विशेष रूप से तैयार डीपीआर टेम्पलेट की उपलब्धता आवेदकों को परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करने में मदद करती है।

(iii) टेक्नोलोजी इंटीग्रेशन: एआईएफ़ आईओटी-आधारित परामर्श प्रणाली, ड्रोन, सोलर पावर्ड सोल्यूशन और स्वचालित मौसम स्टेशनों जैसी आधुनिक तकनीकों का समर्थन करके स्मार्ट और सटीक कृषि को बढ़ावा देता है। ये प्रौद्योगिकियाँ दक्षता बढ़ाती हैं, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करती हैं और कृषि पद्धतियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं।

(iv) नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना: पीएम-कुसुम कम्पोनेंट-ए का सामंजस्य सिंचाई प्रणालियों और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, प्रचालन लागत को कम करता है और क्लीन एनर्जी सोल्यूशन को बढ़ावा देता है।

वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकीय प्रगति और समुदाय-आधारित पद्धतियों को जोड़कर, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि एआईएफ-वित्तपोषित इन्फ्रास्ट्रक्चर टिकाऊ, फ्लेक्सिबल और दीर्घावधि में किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए लाभकारी बना रहे।

(ड़): सरकार ने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ और अन्य स्टेकहोल्डर को आसानी से और कुशलतापूर्वक वित्तीय सहायता सुनिश्चित हो सके। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल है:

(i) निर्बाध आवेदन के लिए ऑनलाइन एआईएफ पोर्टल

समर्पित एआईएफ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लाभार्थियों को ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है, जिससे कागजी कार्रवाई कम होती है और अनुमोदन प्रक्रिया में तेज़ी आती है। यह पोर्टल किसानों, एफपीओ, पीएसीएस और कृषि -उद्यमियों हेतु उपयोग को आसान करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइडिड आवेदन प्रक्रिया प्रदान करता है। इस संबंध में पोर्टल में उपलब्ध सहायक वीडियो पोर्टल को उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल बनाता है।

(ii) सिंगल-विंडो मंजूरी और बैंकों के साथ एकीकरण

एआईएफ पोर्टल लगभग सभी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ एकीकृत है, जिससे रियल-टाइम प्रोसेसिंग और सीधे ऋण आवेदन की सुविधा मिलती है। अनुमोदन को सरल बनाने और नौकरशाही की देरी को कम करने के लिए सिंगल-विंडो मंजूरी प्रणाली शुरू की गई है।

(iii) सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण और पात्रता सत्यापन

दस्तावेज़ आवश्यकता को तर्कसंगत बनाया गया है ताकि छोटे और सीमांत किसान, एफपीओ और पीएसीएस कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ आवेदन कर सकें। आधार के साथ जोड़ने से आवेदक के क्रेडेंशियल का तत्काल सत्यापन हो पाता है।

(iv) राज्य एवं जिला स्तरीय सहायता

राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) और जिला स्तरीय निगरानी समितियां (डीएलएमसी) आवेदकों को जमीनी स्तर पर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

समर्पित हेल्पडेस्क और शिकायत निवारण तंत्र लाभार्थियों को आवेदन-संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है।

(v) क्रेडिट गारंटी और जोखिम शमन के उपाय

सरकार ने 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए नबसंरक्षण और सीजीटीएमएसई के माध्यम से क्रेडिट गारंटी सहायता पेश करके कोलेटरल आवश्यकताओं को सरल बनाया है। इस कदम से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ हुआ है, जिनके पास ऋण सुरक्षा के लिए उच्च मूल्य वाली संपत्तियां नहीं होती हैं।

(vi) जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ऋण आवेदन प्रक्रिया के बारे में बैंकर्स और लाभार्थियों दोनों को शिक्षित करने के लिए नियमित जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

सहज प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थान आवेदकों को सक्रिय रूप से हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करते हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाकर, दस्तावेज़ की आवश्यकता को कम करके, तकनीकी सहायता प्रदान करके और क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके, सरकार ने एआईएफ ऋण आवेदन प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और किसान-अनुकूल बनाया है।

******